

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 859 / 2016 / अजमेर
2. अपील संख्या 860 / 2016 / अजमेर
3. अपील संख्या 1165 / 2016 / अजमेर
4. अपील संख्या 1227 / 2016 / अजमेर
5. अपील संख्या 1228 / 2016 / अजमेर

मैसर्स वर्ल्ड वाईड मशीनरी सॉल्यूशन्स,
जयपुर रोड, किशनगढ़ कोठी के सामने, अजमेर

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अजमेर

.....प्रत्यर्थी

6. अपील संख्या 1190 / 2016 / अजमेर
7. अपील संख्या 1191 / 2016 / अजमेर
8. अपील संख्या 1192 / 2016 / अजमेर
9. अपील संख्या 1193 / 2016 / अजमेर
10. अपील संख्या 1194 / 2016 / अजमेर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, अजमेर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स वर्ल्ड वाईड मशीनरी सॉल्यूशन्स,
जयपुर रोड, किशनगढ़ कोठी के सामने, अजमेर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री ओ.पी.दौसाया, अभिभाषक

.....व्यवसायी की ओर से

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से

दिनांक : 20.09.2018

निर्णय

1. अपील संख्या 859-860, 1165, 1227-1228 / 2016 अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "व्यवहारी" कहा जायेगा) द्वारा एवं अपील संख्या 1190 से 1194 / 2016 विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय निर्णय दिनांक 15.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कर एवं ब्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा

निरन्तर.....2

31

2m

यथावत रखे जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है, इसके साथ ही विभाग द्वारा भी अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई हैं, जिनका विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति अंतर्गत धारा 61
859/16	193/14-15/वैट	2008-09	646905	465771	-
1190/16			-	-	1293810
860/13	192/14-15/वैट	2009-10	90688	543832	-
1191/13			-	-	1812776
1165/16	189/14-15/सीएसटी	2011-12	537799	193607	-
1194/16			-	-	1075599
1227/16	191/14-15/वैट	2010-11	1630202	782496	-
1192/16			-	-	3260404
1228/16	190/14-15/सीएसटी	2010-11	61491	29515	-
1193/16			-	-	122982

- प्रस्तुत अपीलों के सभी प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.02.2013 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। व्यवसायी द्वारा hydraulic excavation machinery, spare parts and accessories आदि का क्रय-विक्रय किया जाता है। सर्वेक्षण के पश्चात पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में कतिपय विक्रीत उत्पाद burshchipper, GPR, horizontal grinder, machinery parts, battery, battery charger, luricant का विक्रय गलत रूप से अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 155 में आच्छादित मानते हुए उन वस्तुओं के विक्रय पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया है जबकि व्यवहारी द्वारा विक्रीत उत्पाद अधिनियम की अनुसूची-IV में अंकित नहीं हैं, अतः जांच अधिकारी द्वारा इन विक्रीत उत्पादों की कर दर अनुसूची-V के अनुसार 12.5/14 प्रतिशत होना अवधारित कर पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब को अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति राशियों का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित

अ

अ

निरन्तर.....3

होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की गईं एवं शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार की गईं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर एवं विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर ये अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गईं हैं।

4. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा विक्रीत वस्तुएं राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 155 से आच्छादित है न कि अनुसूची-पंचम के अन्तर्गत सामान्य कर दर से, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण मूल रूप से ही गलत किया गया। उनका यह भी कथन है कि धारा 61 के अधीन आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा सही अपास्त किया गया है अतः इस संबंध में प्रस्तुत राजस्व की अपीलों को उन्होंने अस्वीकार करने का निवेदन किया है।
5. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में hydraulic excavation machinery and spare parts के अलावा अन्य एसेसरीज व अन्य आइटम्स का विक्रय किया जाकर इसके विक्रय पर अधिनियम की अनुसूची-चतुर्थ में विहित कर दर 4/5 प्रतिशत से वैट वसूल किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा विक्रीत वस्तुओं को सामान्य दर से करदेय होना मानकर पारित आदेशों में 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया गया है। अतः उन्होंने कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने तथा इस संबंध में व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की। साथ ही उनका यह भी कथन है कि व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तुओं को जानबूझकर करापवंचन की नीयत से इस पर न्यून कर दर @4/5 प्रतिशत से ही कर चुकाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना प्रमाणित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया गया है तथा जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक भूल की है। अतः उन्होंने शास्ति के संबंध में उन्होंने अपीलीय आदेश को अपास्त कर विभागीय अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 155 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो कि विचाराधीन कालावधि में निम्नानुसार रही है :-

"155. Hydraulic excavators earth moving and mining machinery, mobile cranes and hydraulic dumpers including parts thereof "

31

amr

7. उक्त प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर को सम्मिलित करते हुए अर्थमूविंग एवं माइनिंग मशीनरी, मोबाइल क्रेन, हाइड्रोलिक डम्पर एवं उक्त आइटम्स के कलपुर्जे (parts) सम्मिलित है। तत्पश्चात यह देखा जाना है कि क्या प्रश्नगत उत्पाद इस प्रविष्टि से आच्छादित हैं अथवा नहीं ? इस हेतु प्रश्नगत उत्पादों का item wise प्रयोग (use) देखा जाना आवश्यक है, जो इन उत्पादों से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी (product literature etc.) के आधार पर निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	उपयोग
1.	brush chipper	organic waste- पेड़ों की शाखाओं, झाड़ियों, फसलों से अवशेष आदि का चूरा बनाये जाने की मशीन, जिससे ईंधन का निर्माण हो सकता है।
2.	Bentonite mixing system	excavator के attachment के रूप में प्रयोग की जाने वाली मशीन जो कि ड्रिलिंग एसेसरीज के रूप में प्रयुक्त होती है।
3.	Mud motors	excavator की एसेसरी के रूप में काम में ली जाने वाली मोटर
4.	Battery	वैकल्पिक ऊर्जा रूपी स्रोत उपकरण जिससे की अन्य उपकरणों को ऊर्जा उपलब्ध करवायी जाती है।
5.	Battery charger	बैटरी को चार्ज करने वाला आइटम
6.	Lubricant	ड्रिलिंग पाइप की चूड़ियों पर ल्यूब्रिकेशन हेतु लगाया जाने वाला पदार्थ
7.	GPR	जमीन के नीचे स्थित चट्टानों, मृदा, बर्फ, ताजा पानी आदि की इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडियेशन के माध्यम से जानकारी करने हेतु प्रयोग में लिया जाने वाला यंत्र

8. प्रश्नगत उत्पादों के ऊपर वर्णित उपयोग (use), अभियोग पत्रावली पर उपलब्ध product literature तथा Photographs के आधार पर यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि उक्त आइटम्स Hydraulic excavators earth moving and mining machinery, mobile cranes and hydraulic dumpers के parts के रूप में प्रयोग नहीं आते हैं, अतः इन्हें प्रविष्टि संख्या 155 के अंतर्गत कर योग्य नहीं माना जा सकता है। चूंकि उक्त उत्पाद अनुसूची-IV की अन्य किसी प्रविष्टि से भी आच्छादित नहीं है, अतः इन पर अनुसूची-V के अंतर्गत residual rate से करारापोण करने में समक्ष अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश उचित पाये जाने से उसकी पुष्टि की जाती है।




9. जहां तक धारा 61 के अधीन शास्ति आरोपण का प्रश्न है, रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरणों में विवाद Classification of goods से सम्बन्धित है एवं इनमें समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में घोषित थे तथा व्यवहारी ने समस्त बिक्री विवरणियों में दर्शायी है, अतः विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त संदर्भित निर्णय हैं :-

(i) श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC)

(ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लि0 (12) 32 टीयूडी पृष्ठ 3


(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बम्बिनो एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 (2016) 90 वीएसटी पृष्ठ 22

(iv) Reckitt Benckiser (India) Ltd. Vs ACTO [2017] 47 TUD 267 (Raj)

अतः आरोपित शास्तियों को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।


10. परिणामस्वरूप विवादित अपीलीय आदेशों की पुष्टि करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलें एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।



20.9.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(नित्यराम)
सदस्य